204

उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

निविदा के माध्यम से केंद्र के आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आडू एवं प्लम बागों के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आडू एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु विविध ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों से निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदायें संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा कार्यालय में दिनांक 14.03.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी तथा निविदा केवल उन्ही ठेकेदारों/फर्मो की स्वीकार की जायेंगी जो दिनांक 08.03.18 से दिनांक 13.03.18 तक प्रातः 9:00 से सायं 4:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में) रू0 2000.00 + जी0एस0टी0 12 प्रतिशत कुल रू0 2240.00 (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) की निविदा फीस (Tander Fees) का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा में भाग लेने हेतु रू0 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो अलग–अलग वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम *भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पी0एन0बी0 बैंक, यूनियन बैंक, पन्तनगर* शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाले जायेगें। निविदा फीस (Tander Fees) रू0 2240.00 का बैंक ड्राफ्ट एवं निविदा की सुरक्षा धनराशि रू0 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा। समस्त निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि निविदा में भाग लेने से पूर्व बागों का भलीभांति निरीक्षण कर ही निविदा प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

बागों का विवरण:-

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़
	लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़
	लाट सं0–4	आम क्षेत्र सं0 – 8,9	27 एकड़
	लाट सं0–5	आम क्षेत्र सं0 – 10,11	40 एकड़
	लाट सं0–6	आम व कटहल क्षेत्र सं0– 12,13,14	41 एकड़
	लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 4–5 वर्ष)	2.5 एकड़
	लाट सं0–8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15	12 एकड़
	लाट सं0–9	आडू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0– 7बी, 12ए	09 एकड़

निविदा की शर्तेः

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2018 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भाँति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट निविदा समाप्ति के एक सप्ताह पश्चात् लौटा दिया जायेगा परन्तु रू0 2240/– (रूपये दो हजार दो सौ चालीस मात्र) का निविदा फीस (Tander Fees) वापस नहीं किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में निविदा समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल निविदादाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया रू0 25,000/– के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केंद्र
पत्थरचट्टा

5. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
6. कुलपति महोदय द्वारा निविदा स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो, उच्चतम निविदा धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमे पहले जमा किया रू0 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण की दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में *वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर* के नाम जमा करना होगा। जो केवल *भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पी0एन0बी0 बैंक, यूनियन बैंक, पन्तनगर* में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनॉक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

7. समस्त धनराशियाँ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगीं।
8. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।
11. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।
12. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	आम	सं0 – 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1100 कि0ग्रा0	100 फल
2.	लीची	सं0 – 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	1500 कि0ग्रा0	500 फल
3.	आम व चीकू	सं0 – 5	आम 150 कि0ग्रा0 चीकू 100 कि0ग्रा	100 फल 50 फल
4.	आम	सं0 – 8,9	आम चौसा 600 कि0ग्रा0 अन्य किस्म 400 कि0ग्रा0	100 फल
5.	आम	सं0 – 10,11	आम 1500 कि0ग्रा0	100 फल
6.	आम व कटहल	सं0– 12,13,14	आम 1200 कि0ग्रा0 व कटहल 200 कि0ग्रा0	100 फल –
7.	आम	सं0 12 बी (आयु 4–5 वर्ष)	आम 250 कि0ग्रा0	100 फल
8.	नाशपाती कटहल व लीची	सं0– 6,7,15	नाशपाती 400 कि0ग्रा0 व लीची 150 कि0ग्रा0	100 फल 100 फल
9.	आडू एवं प्लम (अलूचा)	सं0– 7बी, 12ए	आडू 300 कि0ग्रा0 व प्लम 100 कि0ग्रा0	50 फल 50 फल

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केंद्र
पत्थरचट्टा

13. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

14. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी या अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति मे की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ो की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए परियोजनाधिकारी अथवा फल परियोजना समन्यवक की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।

15. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

16. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वंय सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।

17. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ो से बचाव तथा फलों की तुडाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीट नाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

18. ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र भी केंद्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्व आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(ए0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थररचट्टा

प्रतिलिपि :–

1. बिक्री सहायक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा।
2. लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र

विज्ञापन का प्रारूप

201

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पंतनगर
निविदा के माध्यम से बागों की बिक्री की सूचना

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा में उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार उपलब्ध आम, लीची, कटहल, चीकू, नाशपाती, आडू एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु दिनांक 13.03.2018 तक ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

लाट सं0	बाग का विवरण	क्षेत्रफल
लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़
लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़
लाट सं0–4	आम क्षेत्र सं0 – 8,9	27 एकड़
लाट सं0–5	आम क्षेत्र सं0 – 10,11	40 एकड़
लाट सं0–6	आम व कटहल क्षेत्र सं0– 12,13,14	41 एकड़
लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 4–5 वर्ष)	2.5 एकड़
लाट सं0–8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15	12 एकड़
लाट सं0–9	आडू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0– 7बी, 12ए	09 एकड़

उपरोक्त का पूर्ण विवरण एवं बिक्री/निविदा की शर्तों हेतु उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय से निविदा प्रारूप (Tander Form) किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.03.2018 से 13.03.2018 तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदायें दिनांक 08.03.18 से दिनांक 13.03.18 तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में) संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय मे रखे निविदा बाक्स मे डाली जायेगी और दिनांक 14.03.18 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जायेगी।

(ए0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थरचट्टा

(200)

कार्यालय संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,पंतनगर
निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र सं0

निविदा फीस रू0–2000/– प्रति +12% जी0एस0टी0 अतिरिक्त (कुल रू0–2240.00)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	दिनांक 01.03.2018 प्रातः 9:00 बजे से दिनांक 13.03.2018 अपराह्न 3:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	दिनांक 08.03.2018 से दिनांक 13.03.2018 तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक (किसी भी कार्य दिवस में)
निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनाक 14.03.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे
निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा

उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा में बिक्री हेतु उपलब्ध बागों का विवरण निम्नवत हैं।

लाट सं0	बाग का विवरण	क्षेत्रफल	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर अंको में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर शब्दों में
लाट सं0–1	आम : 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़		
लाट सं0–2	लीची : 2बी, 3ए, 3बी, 3सी, 4सी, 17, 18 एवं 23 नम्बर	44 एकड़		
लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़		
लाट सं0–4	आम क्षेत्र सं0 – 8,9	27 एकड़		
लाट सं0–5	आम क्षेत्र सं0 – 10,11	40 एकड़		
लाट सं0–6	आम व कटहल क्षेत्र सं0– 12,13,14	41 एकड़		
लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 4–5 वर्ष)	2.5 एकड़		
लाट सं0–8	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15	12 एकड़		
लाट सं0–9	आडू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0– 7बी, 12ए	09 एकड़		

नोटः – निविदादाता एक ही निविदा प्रपत्र पर एक अथवा समस्त लाटों के लिये प्रत्येक लाट के सामने मुल्य अंकित कर सकता है। प्रत्येक लाट की नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक लाट की धरोहर धनराशि रू0 25,000/– जमा करनी होगी।

मैंने निविदा शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा प्रक्षेत्र पर जाकर बागों का निरीक्षण कर लिया है मुझे सभी शर्तें मान्य हैं। धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा फीस (Tander Fee) रू0 2240/– का ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....एवं रू0 25,000/– की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....जो कि ....की पंतनगर शाखा में देय है। इस प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर :

निविदादाता का नाम ....

ग्राम .... पोस्ट ....

जनपद ....

पेंन सं0 (आयकर सम्बन्धी) ....

निविदादाता के पिता का नाम ....

थाना .... तहसील ....

फोन नः– ....

बैंक का नाम एवं खाता सं0 ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा